न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/210/2005/धौलपुर

1– नत्थी पुत्र शिब्बू जाति बाढ़ई निवासी ग्राम कनासिल तहसील सैंपउ जिला धौलपुर – मृतक
1/1. राकेश,
1/2. रामबिलास,
1/3. रामप्रकाश,
1/4. जगन्नाथ,
1/5. सतीश,
1/6. संतोषी पुत्रगण स्व0 नत्थी जाति बाढ़ई निवासीगण ग्राम कनासिल तहसील सैंपउ जिला धौलपुर,
1/7. रामबेटी पुत्री नत्थी पत्नि महेशचन्द जाति बाढ़ई निवासी ग्राम टोंटकी तहसील बाड़ी जिला धौलपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– पीतम पुत्र करनसिंह जाति बाढ़ई निवासी ग्राम कनासिल – मृतक,
2– किशना पुत्र करनसिंह जाति बाढ़ई निवासी कनासिल– मृतक
2/1. सत्यवती पत्नि स्व0 करनसिंह,
2/2. सुरेश,
2/3. विनोद पुत्रगण स्व0 करनसिंह,
2/4. आसनदेई पुत्री करनसिंह पत्नि शीतल जाति बाढ़ई निवासी ग्राम वल्लभगढ़ तहसील बयाना जिला भरतपुर,
2/5. जयश्री पुत्री करनसिंह पत्नि परषोत्तम जाति बाढ़ई निवासी ग्राम उमरेह तहसील बाड़ी जिला धौलपुर,
2/6. सर्वेश पुत्री करनसिंह पत्नि बबलू जाति बाढ़ई निवासी ग्राम करसोली तहसील हिण्डोन।
3– रामभरोसी पुत्र करनसिंह जाति बाढ़ई निवासी ग्राम कनासिल तहसील सैपउ जिला धौलपुर,
4– बरफी पुत्री शिब्बू पत्नि नत्थीलाल जाति बाढ़ई निवासी ग्राम सालेपुर तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर ।
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपउ जिला धौलपुर।

..... रैस्पोडेंट्स

खण्ड पीठ
श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री विनोद भार्गव, अभिभाषक अपीलांट।

(2) श्री हिमांशु सोगानी, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2 के वारिसान के ब्रीफ होल्डर।
(3) श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4
(4) शेष रेस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक :– 8.1.2020**

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर (कैम्प धौलपुर) के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–12–2004 अपील सं0 67/2002 बउनवानी पीतम बनाम नत्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कनासिल में स्थित आराजी खसरा नं0 969, 970 के खातेदार कृषक मृतक अंगद थे तथा अपने जीवनकाल तक काश्त करते रहे। अंगद के बाबा छीतरिया थे तथा छीतरिया के दो पुत्र सामलिया व नन्दू थे। सामलिया के अंगद हुआ जो 23 साल पूर्व लाऔलाद फौत हो गया तथा नन्दू के शिब्बू हुआ जो करीब 17 साल पूर्व ही फौत हो गया और शिब्बू के वारिस वादी व प्रतिवादी सं0 4 बरफी है। अंगद के सभी अधिकार वादी के पिता शिब्बू पर हुए। शिब्बू ही अंगद के सबसे नजदीक वारिस व कायम मुकाम है। अंगद की मृत्यु के बाद शिब्बू ने बहैसियत काश्तकार अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी को काश्त किया। शिब्बू की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं0 4 पर प्रकान्त हुई लेकिन प्रतिवादी सं0 4 ने शिब्बू की आराजी में से कोई हक नहीं लिया। इस प्रकार समस्त आराजी को वादी तन्हा काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा मौके पर कब्जा है। प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना ही वादी के पिता शिब्बू ने वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 3 के लिये किसी प्रकार का हस्तान्तरण किया। प्रतिवादी चालाक व्यक्ति है जिन्होंने बन्दोबस्त विभाग से मिलकर वादग्रस्त आराजी अपने नाम करा ली जिससे वादी के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिवादी ने धमकी दी की वादग्रस्त आराजी पर काश्त नहीं करने देगें तथा बेदखल करेगें। अतःवाद वादी डिक्री किया जावें तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर

वादी के कथनों से इन्कार किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर वादीगण का वाद दिनांक 31–7–2002 को निर्णित कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 31–7–2002 के खिलाफ विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 18–12–2004 को अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 18–12–2004 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस में प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील बहस में तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष कि वादी/अपीलांट अंगद का उत्तराधिकारी नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व अभिवचनों के विपरीत है। स्वयं प्रतिवादी/रेस्पो0 के अभिवचनों से यह स्पष्ट होता है कि वादी भी मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अंगद का वारिस है। उनके द्वारा किया गया यह अभिकथन कि अंगद की ओर भी वारिस है, किसी भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हैं। अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो सं0 1 ल0 3 का सम्वत् 2019 से कब्जा मानने में तथ्यात्मक भूल की है जो निष्कर्ष पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। अपीलीय न्यायालय का यह तर्क कि अंगद ने वादग्रस्त आराजी को रेस्पो0 सं0 1 ल0 3 को हमेशा के लिए शिकमी काश्त पर दे दिया था, साक्ष्य व तथ्यों के विपरीत है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गोर नहीं किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह भलीभांति साबित था कि रेस्पो0 सं0 1 ल0 3 का नाम राजस्व अभिलेखों में वक्त बन्दोबस्त दर्ज किया गया जबकि बन्दोबस्त को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–12–2004 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें। उन्होंने अपने समर्थन में 1986 आर0आर0डी0 पेज 642, 2018 आर0आर0टी0 पेज 292, 2008 आर0आर0टी0 पेज 151, 1985 आर0आर0डी0 पेज 342, 1994 आर0आर0डी0 पेज 761, 384, 1990 आर0आर0डी0 पेज 650 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी का वाद दायर करने का अधिकार ही नहीं था क्योंकि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त रेस्पो0 का है। वादी ने हमारे कब्जे को हटाने का दावा नहीं किया, जो अब मियाद

के बाहर है। विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय सही है। उत्तराधिकार का बिन्दू वादी के खिलाफ सिद्व हुआ है। धारा 19 (1)ए.ए. के तहत रेस्पो0 को वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट काबिज खारिज योग्य है।

6- हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

7- विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31-7-2002 में अंकित किया कि दावा वादी निर्णित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण मृतक अंगद के विधिसम्मत उत्तराधिकारी नहीं हैं तथा उन्होंने आराजी खसरा नं0 969 व 970 पर अवैद्यानिक रूप से स्वयं को खातेदार दर्ज करा लिया है एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में हो रहे उक्त खातेदारी इन्द्राज निरस्त किये जाते हैं। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18-12-2004 में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में तनकी सं0 1 व 4 का निर्णय रेस्पो0 के विरूद्व पारित करते हुए यह तय किया कि रेस्पो0 अपने आपको स्व0 अंगद का उत्तराधिकारी साबित करने में सफल नहीं हो सकें। इसलिए उत्तराधिकारियों की जांच के लिए अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार को जांच हेतु आदेश पारित किया है जो निर्णय विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि तनकी 1 को साबित करने का भार रेस्पो0 पर था। पत्रावली पर पक्षकारों की साक्ष्य उलपब्ध है उसी आधार पर निर्णय किया जा सकता है। अपील में रेस्पो0 द्वारा यह बिन्दू नहीं उठाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने स्व0 अंगद को वारिस नहीं माननें में भूल की हो। ऐसी स्थिति में तनकी सं0 1 व 4 का निर्णय अपने आपमें अन्दर अंतिम हो चुका है। प्रस्तुत नकल खसरा एवं लगान की रसीदों से यह साबित होता है कि अपीलांट विवादित आराजी पर सम्वत् 2019 से लगातार काबिज है और स्व0 अंगद के जीवनकाल में ही अपीलांट को अधिकार खातेदारी प्रदान किये जा चुके हैं जिन्हें स्व0 अंगद ने अपने जीवनकाल में कभी चुनौती नहीं दी। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने व अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

8- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2053-2056 प्रदर्श-1 में खसरा नं0 674 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 969 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा तथा खसरा नं0 970 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा पीतम, किशना, रामभरोसी पि0 करनसिंह (प्रतिवादी सं0 1 से 3) के नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2019 प्रदर्श-2 में खसरा नं0 654, 782 व

783 कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा अंगद वल्द सामलिया के नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2020–2023 प्रदर्श–3 में भी अंगद वल्द सामलिया दर्ज है। सम्वत् 2020 मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। (प्रदर्श–4) खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017–2020, 2021–2023 में खातेदार अंगद दर्ज है। काश्त पीतम वल्द करनसिंह दर्ज है। लगान रसीदें पेश है जिनमें पीतम, किशना व रामभरोसी वल्द करनसिंह दर्ज है। वादी द्वारा वापत्र में सजरा पेश किया है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में उज्ररात मजीद में सम्पूर्ण सजरा पेश किया है। दोनों सजरों के अवलोकन से विदित होता है कि अंगद पुत्र सामलिया लाऔलाद फौत हुआ था। वादी ने जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है उससे इस बात की भली–भांति पुष्टि नहीं होती है कि वादी अंगद का वारिस है, क्योंकि वादी द्वारा प्रस्तुत सजरे को प्रतिवादीगण 2 ल0 3 ने अपने जवाब दावा में चुनौती दी है तथा कथन किया है कि वादी ने अधूरा सिजरा पेश किया है। प्रतिवादीगण ने जो सिजरा पेश किया है उसकी पुष्टि में प्रतिवादीगण ने भी कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत सिजरे की पुष्टि होती हो। दोनों ही पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में मौखिक बयान कराये हैं लेकिन दोनों पक्षों के बयानो के पढ़ने के बाद इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि मृतक अंगद के वास्तविक वारिस कौन–कौन हैं। इससे स्पष्ट है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा तनकी सं0 1 का विवेचन सही रूप से किया गया है।

9– प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे के कथन में नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017–2020 प्रदर्श–1, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2021–23 पेश की है। उक्त दोनों ही खसरा गिरदावरियों में साबिक खसरा नं0 654 पर अंगद पुत्र सामलिया कौम बाढई का नाम बतौर खातेदार अंकित है। उक्त रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम का किसी भी हैसियत से कोई इन्द्राज नहीं है जबकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में यह अंकित किया है कि उन्होंने सम्वत् 2019 में विवादित आराजी अंग से शिकमी काश्त पर ली थी। वैसे भी खसरा गिरदावरी (रेकार्ड ऑफ राईट) नहीं है। प्रतिवादीगण ने इस समय की कोई जमाबन्दी पेश नहीं की है। जमाबन्दी का अंकन ही इन्द्राज के सत्यापन का सही अभिलेख माना जाता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में केवल यह अंकित कर देने से कि उनके द्वारा विवादित आराजी मृतक अंगद से शिकमी काश्त पर ली थी को सही नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी की हैसियत खातेदार काश्तकार की नहीं है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2016–2019 में अंगद का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। इससे पुष्टि होती है कि बन्दोबस्त से पूर्व राजस्व रेकार्ड में

अंगद खातेदार काश्तकार दर्ज था लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने अंगद का नाम काटकर प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 3 का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया। बन्दोबस्त विभाग को केवल इन्द्राज बदलने का अधिकार था। पहले से हो रहे इन्द्राज को बदलकर किसी अन्य का नाम खातेदार के रूप में अंकन करने का अधिकार बन्दोबस्त विभाग को नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर 1986 आर0आर0डी0 पेज 642, 2018 आर0आर0टी0 पेज 292, 2008 आर0आर0टी0 पेज 151, 1985 आर0आर0डी0 पेज 342, 1994 आर0आर0डी0 पेज 761, 384, 1990 आर0आर0डी0 पेज 650 प्रकरण के तथ्यों पर पूर्णरूपेण चस्पा होती है।

10– विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18–12–2004 में अंकित किया है कि तहसीलदार को जांच हेतु आदेशित करना विधि एवं तर्कसंगत नहीं है। जो भी पत्रावली पर साक्ष्य उपलब्ध है, इसी आधार पर निर्णय किया जा सकता है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल खसरा एवं लगान की रसीदों से यह साबित होता है कि अपीलांट विवादित आराजी पर सम्वत् 2019 से निरन्तर काबिज हैं और स्व0 अंगद के जीवनकाल में ही अपीलांट को अधिकार खातेदारी प्रदान किये जा चुके हैं जिन्हें स्व0 अंगद ने अपने जीवनकाल में कभी चुनौती नहीं दी। इससे यही अर्थ निकलता है कि स्व0 अंगद ने विवादित आराजी को अपीलांट को हमेशा–हमेशा के लिए शिकमी काश्त पर दे रखी थी और उसी के जीवनकाल में अपीलांट के नाम अंगद के बजाय खातेदारी भी प्रदान की गई है।

11– विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय में उक्तानुसार विवेचन करना विधिसम्मत नहीं है। विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा साक्ष्य से ही यह निष्कर्ष निकाला कि वारिसों की जांच आवश्यक है, केवल खसरा गिरदावरी की प्रविष्ठि को भी सम्वत् 2017 से 2020 की प्रविष्ठि के आधार पर शिकमी काश्तकार को किसी सक्षम एवं विधिक आदेश से खातेदार काश्तकार मानना विधिसम्मत नहीं है। बन्दोबस्त विभाग को धारा 10 के तहत खातेदारी अधिकार देने का अधिकार नहीं है तथा न ही विद्यमान प्रविष्ठि को बदलकर अन्य खातेदार को दर्ज करने का अधिकार है।

12– विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर द्वारा तनकीवार विवेचन कर अंकित किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा अंगद के वारिसान बाबत दोनों प्रस्तुत सजरा विश्वसनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अंगद के वारिसान को तहसीलदार सैपउ से जांच करवाकर तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 9 के अनुसार समान अधिमान के उत्तराधिकारियों के पक्ष में मृतक अंगद की खातेदारी की भूमि पर

नामान्तकरण की कार्यवाही कराया जाना ही उचित है। साथ ही यदि मृतक अंगद के विधिसम्मत उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है तो भूमि राजगामी सम्पति घोषित होने योग्य है। अतः आदेश है कि दावा वादी निम्नानुसार निर्णित किया जाता है कि– 1– यह घोषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण मृतक अंगद के विधि सम्मत उत्तराधिकारी नहीं है तथा उन्होंने आराजी खसरा नं0 969–970 वाके ग्राम कनासिल तहसील सैपउ पर अवैद्यानिक रीति से स्वयं को खातेदार दर्ज करा लिया है एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में हो रहे उक्त खातेदारी इन्द्राज निरस्त किये जाते है, 2– तहसीलदार सैपउ को आदेशित किया जाता है कि दावे में प्रस्तुत दोनों सजरों की जांच कर मृतक अंगद पुत्र सामलिया कौम बाढ़ई निवासी कनासिल के यदि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत कोई वारिस हो तो समान अधिमान के उत्तराधिकारियों को अंगद का उत्तराधिकारी धोषित किया जाकर इस न्यायालय को सूचित करें। इसकी प्रविष्ठि अधिकार अभिलेख में की जावें एवं इस न्यायालय को एक माह में सूचना दी जावें। अंगद के उत्तराधिकारी विद्यमान नहीं होने पर उक्त भूमि को राजगामी सम्पति घोषित कराने की कार्यवाही प्रस्तावित की जावें।

13– विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर द्वारा पैरा नं0 2 में तहसीलदार सैपउ को गलत रूप से आदेशित किया गया है कि वारिस हो तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत समान अधिमान के उत्तराधिकारियों को अंगद का उत्तराधिकारी घोषित किया जाकर इस न्यायालय को सूचित कर इसकी प्रविष्ठि अधिकार अभिलेख में की जावें एवं इस न्यायालय को एक माह में सूचना भेजी जावें।

14– विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय को तहसीलदार से वारिसों की रिपोर्ट मंगाकर स्वयं विधिसम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था, इसलिए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

15– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर (कैम्प धौलपुर) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–12–2004 एवं विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–7–2002 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार सैपउ दावे से प्रस्तुत सजरों की जांच कर मृतक अंगद पुत्र सामलिया कौम बाढ़ई निवासी कनासिल के हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वारिसों की जांच कर रिपोर्ट मंगावे तथा

वारिसों के बारे में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर के समक्ष दिनांक 10.2.2020 को पेश हों ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष